रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4248] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 26, 2018/कार्तिक 4, 1940
No. 4248] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2018/KARTIKA 4, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2018

का. आ. 5453(अ).—केंद्रीय सरकार की यह राय है कि सभी सार्वजनिक सेवा यान में (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन के अनुकूलन या फिटनेस के संबंध में मानकों को अधिसूचित करने के लिए सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है।

अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, ऐसे मानकों को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर यान (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन) आदेश, 2018 है।

2. यह आदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. यह आदेश केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125 ज के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सभी सार्वजनिक सेवा यानों को लागू होगा।

4. सार्वजनिक सेवा यानों पर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन (वीएलटी) लगाने के लिए समग्र दृष्टिकोण निम्नलिखित होगा:

(क) वीएलटी डिवाइस निर्माता केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण अभिकरणों से अपने डिवाइसों को परीक्षित और प्रमाणित कराएगा।

(ख) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के 125 ज के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और फिटनेस प्रमाणन के लिए वाहनों की जांच के समय सार्वजनिक सेवा वाहनों में वीएलटी डिवाइस की फिटनेस और कार्यात्मक स्थिति की जांच करेंगे।

(ग) सार्वजनिक सेवा यान मालिक को किसी भी निर्माता से अपनी पसंद की वीएलटी डिवाइस को चुनने या स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी जब तक कि यह केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अनुसार अनुमोदित प्रकार का है।

(घ) राज्य या वीएलटी निर्माताओं या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य अभिकरण द्वारा स्थापित कमांड और नियंत्रण केंद्रों या अन्य केंद्र व्यवस्था का उपयोग राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र, परिवहन विभाग या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसके नामित अभिकरणों, डिवाइस निर्माताओं और उनके अधिकृत डीलरों, परीक्षण अभिकरणों, परमिट धारकों आदि विभिन्न हितधारकों को एआईएस 140 संव्यवहार संहिता के अनुसार अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

(ङ) यह कमांड और नियंत्रण केंद्र या इस तरह का अन्य कोई केन्द्र / राज्य के वाहन डेटा बेस या राज्य के संबंधित डेटा बेस को स्पीडिंग, डिवाइस की हालत के संबंध में जानकारी भी पहुंचाएगा।

(च) अनुलग्नक के अनुसार प्रत्येक वीएलटी डिवाइस का विवरण वीएलटी डिवाइस निर्माता द्वारा इसकी सुरक्षित प्रमाणीकृत पहुंच का उपयोग करके वाहन डेटाबेस पर अपलोड किया जाएगा। वीएलटी डिवाइस निर्माता या उनके अधिकृत डीलर सार्वजनिक सेवा यानों में वीएलटी उपकरणों को स्थापित करेंगे और वास्तविक समय में संबंधित बैकएंड सिस्टम पर वाहन के विवरण के साथ डिवाइस रजिस्ट्रीकृत करांएगें।

(छ) सार्वजनिक सेवा यान मालिकों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके वाहनों में स्थापित वीएलटी डिवाइस काम करने की स्थिति में हैं और नियमित रूप से सेलुलर कनेक्टिविटी के माध्यम से संबंधित बैकएंड सिस्टम को आवश्यक डेटा भेजते हैं।

(ज) वीएलटी डिवाइस निर्माता केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में निर्दिष्ट परीक्षण अभिकरणों से पहले प्रमाणन के बाद प्रत्येक वर्ष उत्पादन की अनुरूपता के लिए अपने डिवाइस को परीक्षित कराएगा।

(झ) परीक्षण अभिकरण वाहन डेटा बेस पर उनके द्वारा प्रमाणित वीएलटी उपकरणों का विवरण अपलोड करेंगी। वे वाहन डेटा बेस पर उत्पादन की अनुरूपता से संबंधित स्थिति को भी अपडेट करेंगे।

(ञ) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र इंटरनेट प्रोटोकॉल पता (आईपी पता) और उनके संबंधित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लघु संदेश सेवा गेटवे (एसएमएस गेटवे) के विवरण जहां से वीएलटी डिवाइस आपातकालीन बटन दबाए जाने पर आपातकालीन अलर्ट भेजेगा, को प्रकाशित करेंगे।

(ट) सार्वजनिक सेवा यानों में वीएलटी डिवाइस की स्थापना के समय वीएलटी डिवाइस निर्माता या उनके अधिकृत डीलर डिवाइस संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए आपातकालीन अलर्ट को भेजने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल पता (आईपी पता) और लघु संदेश सेवा गेटवे (एसएमएस गेटवे) विवरण को समनुरुप बनाएगा।

(ठ) वीएलटी डिवाइस निर्माता या उनके अधिकृत डीलर वीएलटी डिवाइस के लिए व्यापक वारंटी / रखरखाव सहायता प्रदान करेंगे और नए सार्वजनिक सेवा यानों के लिए कम से कम दो वर्ष के लिए सेलुलर कनेक्टिविटी और अन्य वाहनों के लिए एक वर्ष की सुविधा प्रदान करेंगे।

(ड) वीएलटी डिवाइस निर्माता सार्वजनिक सेवा यान मालिकों के बीच आपसी समझौते के अनुसार अनिवार्य निष्पादन अपेक्षाओं के अतिरिक्त मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

अनुलग्नक

सार्वजनिक सेवा यानों में रेट्रो-फिट व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन (वीएलटी) का वाहन-डाटाबेस के साथ एकीकरण।

सार्वजनिक सेवा यानों के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन (वीएलटी) के रेट्रो-फिटमेंट हेतु अनुमोदित वीएलटी डिवाइस को वाहन डाटाबेस के माध्यम से विशिष्ट वाहन मॉडल के साथ जोड़ने के संबंध में निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाएगा।

1. यान में लगाए गए वीएलटी डिवाइसों को एआइएस: 140 के अनुसार टाइप अनुमोदित किया जाएगा।
2. टाइप अनुमोदन के पश्चात एनआइसी द्वारा वाहन पोर्टल पर टाइप स्वीकृति डाटा अपलोड करने के लिए प्रत्येक वीएलटी डिवाइस विनिर्माता को एक विशिष्ट उपयोगकर्ता का नाम (यूजरनेम) और पासवर्ड जारी किया जाएगा।
3. वीएलटी डिवाइस विनिर्माता वाहन पोर्टल में प्रत्येक डिवाइस के लिए निम्नलिखित डाटा अपलोड करेंगे:
   - क) वीएलटी डिवाइस मेक ऐंड मॉडल
   - ख) यथा प्रयोज्य टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र (टीएसी) और/या उत्पादन प्रमाणपत्र (सीओपी)
   - ग) आइएमइआइ संख्या
   - घ) आइसीसी आइडी संख्या
   - ड.) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार विशिष्ट पहचान संख्या:

चार अक्षरात्मक - संख्यात्मक वर्ण	**दो अक्षरात्मक - संख्यात्मक वर्ण**	**परीक्षण एजेंसी के लिए एक अक्षरात्मक वर्ण**	**चार संख्यात्मक अंक**	**आठ संख्यात्मक अंक**
विनिर्माता के नाम के लिए	मॉडल के नाम के लिए	**[ए]** - ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया **[सी]** – सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट **[आइ]** – इंटरनेश्नल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी **[वी]** – व्हीकल रिसर्च ऐंड डेव्लेपमेंट इस्टेबल्शिमेंट **[एफ]** – सेंट्रल फॉर्म मशीनरी ट्रेनिंग ऐंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट संस्थान **[पी]** – इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम **[जी]** - ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर, चेन्नई	एमएमवाइवाइ प्रारूप में विनिर्माण के माह और वर्ष के लिए	उत्पादन क्रम संख्या के लिए

4. वीएलटी विनिर्माता के प्राधिकृत डीलर द्वारा वीएलटी डिवाइस को विनिर्दिष्ट सार्वजनिक सेवा यान से जोड़ने के उद्देश्य से वाहन डाटाबेस में विशिष्ट पहचान संख्या दर्ज की जाएगी। यदि वीएलटी डिवाइस को सार्वजनिक सेवा वाहन विनिर्माता द्वारा संस्थापित किया गया है, तो उपर्युक्त प्रक्रिया वाहन विनिर्माता द्वारा की जाएगी।

5. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों द्वारा फिटनेस परीक्षण के समय वीएलटी डिवाइस की विशिष्ट पहचान संख्या सत्यापित की जाएगी।

[सं. आरटी-11028/12/2015-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2018

S.O. 5453(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest to notify standards in respect of equipping or fitment of vehicle location tracking device and emergency button in all public service vehicles.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 109 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following order to specify such standards, namely: -

1. This Order may be called as the Motor Vehicles (Vehicle Location Tracking Device and Emergency Button*)* Order, 2018.

2. This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

3. This Order shall apply to all public service vehicles specified in sub-rule (1) of rule 125H of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

4. The overall approach for installation of Vehicle Location Tracking Device and Emergency Button (VLT) on public service vehicles shall be as follows:

(a) The VLT device manufacturers shall get their devices tested and certified from any of the testing agencies referred to in rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(b) The State or Union Territories shall ensure compliance to rule 125 H of Central Motor Vehicles Rules, 1989 and check fitment and functional status of the VLT device in the public service vehicles at the time of checking of the vehicles for fitness certification.

(c) The public service vehicle owner shall have freedom to choose or install the VLT device of his choice from any of the manufacturers as long as it is Type approved as per Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(d) The Command and Control Centres or such other centre setup by the State or VLT manufacturers or any other agency authorised by the State Government shall be used to provide interface to various stakeholders such as State emergency response centre, the transport department or Regional Transport Offices, Ministry of Road Transport and Highways and its designated agency, device manufacturers and their authorised dealers, testing agencies, permit holders, etc. as per code of practice of AIS 140.

(e) The Command and Control Centre or such other centre shall also provide feed to the VAHAN data base or the relevant data base of the State with regard to the over speeding, device health status.

(f) The details of each VLT device as per annexure shall be uploaded on the VAHAN database by the VLT device manufacturer using its secured authenticated access. The VLT device manufacturers or their authorised dealers shall install the VLT devices in public service vehicles and register the devices along with details of vehicle on the corresponding backend systems in real-time.

(g) The public service vehicle owners have to ensure that the VLT devices installed in their vehicles are in working condition and regularly send required data to the corresponding backend system through cellular connectivity.

(h) VLT device manufacturers shall get their devices tested for conformity of production every year after the first certification, from the testing agencies referred to in rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(i) The testing agencies shall upload the details of the VLT devices certified by them on the VAHAN data base. They shall also update the status relating to the Conformity of Production on the VAHAN data base.

(j) The State or Union Territories shall publish Internet Protocol address (IP address) and Short Message Service Gateway (SMS gateway) details of their respective emergency response system where VLT devices shall send the emergency alerts on press of emergency button.

(k) The VLT device manufacturers or their authorised dealers, at the time of installation of VLT device in public service vehicles, shall configure the Internet Protocol address (IP address) and Short Message Service Gateway (SMS gateway) details in the device for sending emergency alerts to the emergency response system of the State or Union Territory concerned.

(l) VLT device manufacturers or their authorised dealers shall provide comprehensive warranty/maintenance support for the VLT device and facilitate cellular connectivity for a minimum period of two years for new public service vehicles and one year for other vehicles.

(m) The VLT device manufacturers may offer value added services, in addition to the mandatory performance requirements to the public service vehicle owners as per the mutual agreement between them.

Annexure

Integration of the retro-fitted Vehicle Location Tracking Device and Emergency Button (VLT) on Public Service Vehicles with the VAHAN-database.

For the retro-fitment of Vehicle Location Tracking Device and Emergency Button (VLT) for the public service vehicles, the following be ensured with respect to linking of approved VLT Devices with the specific vehicle model through VAHAN database.

1. VLT Devices fitted on the vehicle shall be type approved as per AIS:140.
2. After the type approval, NIC shall issue a unique username and password to each VLT Device manufacturer for uploading the Type approval data on VAHAN portal.
3. VLT Devices Manufacturers shall upload the following data for every device in VAHAN portal:
   a) VLT Device make and model
   b) Type Approval Certificate (TAC) and / or Conformity of Production Certificate (COP) as applicable
   c) IMEI Number
   d) Icc ID Number
   e) Unique identification number as per following format:

Four alpha-numerical characters	**Two alpha-numeric character**	**One alphabetical character for Test Agency**	**Four numerical digits**	**Eight numerical digits**
For name of Manufacturer	For name of the model	**[A]** - Automotive Research Association of India **[C] -** Central Institute of Road Transport **[I] -** International Centre for Automotive Technology **[V]-** Vehicle Research & Development Establishment **[F]** - Central Farm Machinery Training & Testing Institute **[P] -** Indian Institute of Petroleum **[G] -** Global Automotive Research Centre, Chennai	For month and year of manufacture in format MMYY	For Production Sr. No.

4. The authorised dealer of the VLT manufacturer shall enter the Unique Identification number in VAHAN database for the purposes of linking the VLT device to the specific public service vehicle. In case the VLT device is installed by the public service vehicle manufacturer, then the above process shall be undertaken by the vehicle manufacturer.
5. Regional Transport Offices shall verify the unique identification number of VLT device at the time of fitness testing.

[No. RT-11028/12/2015-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.10.29 13:51:44 +05'30'